

22/5/25

पत्रावली पेश हुई। बाकी व बाकी अधिकता
को बार-बार उधार से ज्यादा आवाजे
जोर-जोर से लगायी गयी। बाकी व बाकी
अधिकता अकपस्थित। पत्रावली अथम पेशी,
अथम हाजरी व अथम लाभिल में खारिज
की जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार के
कर जरूर से कम हो। फैसला खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांभर लोक (जयपुर)